मे जारी हुए

2.24 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 19.3.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

19.3.24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन रजि० एडी० से प्राप्त हुए। सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक पर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इच्छा की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थी का नाम दिलिप साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2075-2078 नकल से होती है। प्रार्थी ने अपना नाम दिलिप न होकर दलीचन्द होना अंकित किया है। जिसकी ताईद मे आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, वाहन-चालक अनुज्ञप्ति, बैंक खाता जन आधार कार्ड, भूमि आवंटन आदेश की फोटो प्रति से होती है। जिसमे प्रार्थी का नाम दलीचंद शामिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहल... हुक्म... में...
	इसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे भी दिलिप के बजाय दलीचन्द दर्ज कराना चाहता है। अपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत:	

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे स्थित खाता संख्या 1727 मे अंकित आराजी नम्बर 2234, 2236, 2237, 2282, 2283, 2293, 2294, 2341, 5692/2267, 5694/2281, 5696/2342, 5698/2687 कुल किता 12 कुल रकबा 2.1161 हैक्टेयर भूमि मे अंकित राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम दिलिप के बजाय दलीचन्द पिता रामेश्वर लाल शर्मा राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner